न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 62 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
सुरताराम पुत्र रूगाराम कायम मुकाम 1. देराजराम पुत्र सुरताराम 2. हिमथाराम पुत्र सुरताराम जाति जाट निवासी कोठे का तला, धारासर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर	1. पदमाराम पुत्र वांकाराम 2. देराजराम पुत्र पदमाराम 3. वीरमाराम पुत्र पदमाराम 4. नारणाराम पुत्र वांकाराम 5. ठाकराराम पुत्र देदाराम 6. गोरखाराम पुत्र देदाराम 7. अमराराम पुत्र देदाराम 8. जमना पत्नी देदाराम उतरदाता संख्या 6 व 7 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता जमना पत्नी देदाराम उतरदाता संख्या 8 9. सताराम पुत्र मूलाराम 10. मोडाराम पुत्र मूलाराम 11. प्रहलादराम पुत्र निम्बाराम 12. नेनूराम पुत्र निम्बाराम 13. देवाराम पुत्र निम्बाराम 14. अर्जनराम पुत्र निम्बाराम 15. जुगताराम पुत्र निम्बाराम 16. खेराजराम पुत्र निम्बाराम 17. दीपाराम पुत्र निम्बाराम 18. पेमी पुत्री निम्बाराम 19. पारू पुत्री निम्बाराम 20. सताराम पुत्र लाखाराम 21. तुलसाराम पुत्र रूगाराम जाति जाट निवासी कोठे का तला, धारासर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 22. श्रीमान तहसीलदार चौहटन

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 10 / 2020 बअनवान पदमाराम वगै बनाम नारणाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 30.07.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री वीरमाराम धारासर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 03 की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

3. वकील श्री जगदीश चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 06 से 10 व 21 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—07.09.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उत्तरदाता संख्या 01 से 03 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक आवेदन दिनांक 12.02.2020 को इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 771/431 रकबा 22.10 बीघ व खसरा नम्बर 417 रकबा 14.10 बीघा ग्राम कोठे का तला पटवार क्षेत्र धारासर तहसील चौहटन में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 770/431, 769/431, 428, 741/419, 742/419 प्रार्थीगण के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है, जिससे प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्ध हो जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर वहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी वहस में वताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई। तामील कुन्निदा अपीलांट का नोटिस लेकर उसके घर कभी नहीं आया तथा न ही उसे इस नोटिस के वारे में कोई सूचना नहीं दी गई तथा न ही अपीलांट ने नोटिस कभी इन्कार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.03.2021 के अनुसार विप्रार्थी संख्या 12, 18 से 20 के तलबी हेतु पुनः नोटिस पेश करने हेतु प्रार्थीगण को आदेशित किया गया था जिस पर प्रार्थीगण ने पुनः नोटिस पेश ही नहीं किये। कोविड—19 के कारण न्यायालय में कोई नियमित कार्यवाही नहीं हुई तथा विप्रार्थी सुरताराम का दिनांक 26.11.2020 को देहान्त हो गया तथा सुरताराम की फौतगी की सूचना प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं की गई तथा न

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

ही मृतक पक्षकार के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मृतक पक्षकार के विरूद्ध पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पारित किया उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 06 से 10 व 21 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जाता है तो हम रेस्पोडेंटस को काई आपति नहीं है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मृतक पक्षकार के विरूद्ध पारित किया गया जो प्रारम्भ से ही शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया उक्त मौका फर्द को तैयार करते वक्त अपीलांटगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंटस/प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिए निकटतम रास्ते के विकल्प

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाता अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 10/2020 बअनवान पदमाराम वगै बनाम नारणाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 30.07.2021 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए लघुतम कटाण मार्ग देने की कार्यवाही कर तीन माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 14.11.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रविण पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 07.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर